"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167]　　　रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2013—वैशाख 3, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-26/2011/वाक/पांच (30).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000-विक-पांच (30), दिनांक 13-04-2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 6 के सामने कॉलम (2) में शब्द "पिग आयरन" के पश्चात् शब्द "स्पंज आयरन" जोड़ा जाए.

2. यह अधिसूचना दिनांक 11-05-2001 से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-26/2011/वाक/पांच (30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-26/2011/वाक/पांच (30), दिनांक 23-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 23rd April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-26/2011/CT/V (30).—In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby make the following amendment in the notification No. A-3-28-2000-ST-V (30) dated 13-04-2000 :—

AMENDMETNT

In the Schedule of the said notification after the words "Pig iron", the words "sponge iron" shall be inserted.

2. This notification with effect from 11-05-2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.